# बिल का सारांश

## ग्रैच्युटी का भुगतान (संशोधन) बिल, 2017

- श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने 18 दिसंबर, 2017 को लोकसभा में ग्रैच्युटी का भुगतान (संशोधन) बिल, 2017 पेश किया। यह बिल ग्रैच्युटी का भुगतान एक्ट, 1972 में संशोधन करता है।
- ग्रैच्युटी का भुगतान एक्ट, 1972 किसी भी प्रतिष्ठान, कारखाने, खान, तेल क्षेत्र, बागान, बंदरगाह, रेलवे, कंपनी या 10 से अधिक व्यक्तियों को काम पर रखने वाली दुकानों के कर्मचारियों को ग्रैच्युटी के भुगतान की अनुमति देता है। अगर कर्मचारियों ने सेवा समाप्ति के समय तक कम से कम पांच वर्ष की निरंतर सेवा प्रदान की है तो उन्हें ग्रैच्युटी का भुगतान किया जाएगा।
- एक्ट के अंतर्गत महिला कर्मचारियों को उपलब्ध मातृत्व अवकाश की अधिकतम अवधि 12 हफ्ते है। बिल इस प्रावधान में संशोधन करता है जिससे यह विनिर्दिष्ट किया जा सके कि केंद्र सरकार मातृत्व अवकाश की अधिकतम अवधि अधिसूचित कर सकती है। उल्लेखनीय है कि मातृत्व लाभ (संशोधन) एक्ट, 2017 ने अधिकतम मातृत्व अवकाश को 12 हफ्ते से बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दिया है।
- एक्ट के अंतर्गत किसी कर्मचारी को चुकाई जाने वाली ग्रैच्युटी की अधिकतम राशि 10 लाख रुपए से अधिक नहीं हो सकती। बिल इस प्रावधान में संशोधन करता है और कहता है कि इस सीमा को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।

**अस्वीकरणः** प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) की स्वीकृति के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।

**रोशनी सिन्हा**
roshni@prsindia.org

19 दिसंबर, 2017